संख्या-228/2016/आर-1271/26-3-2016-147 सीएम/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20 दिसम्बर 2016

विषयः- अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर के विकास कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-115-16/स.क./विकास/एकीकृत विकास योजना/सिद्वार्थनगर/2016-17, दिनांक-25.04.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर के विकासखण्ड-डुमरियागंज, मिठवल एवं भनवापुर में विकास कार्यो हेतु में निम्नलिखित विवरण के अनुसार कुल रूपया-424.52 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष रूपया-148.58 लाख (रूपया एक करोड़ अड़तालिस लाख अट्ठावन हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम (संलग्न बी0एम0प्रपत्र-9) श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(रू0 लाख में)

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत (लगभग)	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	डुमरियागंज	बेवा मुस्तहकम	25.60	सी.सी.रोड़/ इन्टरलाकिंग /पिच रोड़	79.36	27.77
2	"	सोनखर	26.89	"	59.72	20.90
3	"	मदरहा	28.47	"	88.08	30.85
4	"	कोटिया	29.67	"	98.25	34.38
5	"	डुमरिया	29.72	"	99.11	34.68
योग					**424.52**	**148.58**

(1)- निदेशालय द्वारा स्वीकृत धनराशि को तत्काल सम्बन्धित जनपद को आवंटित कर दी जायेगी। प्रश्नगत कार्य को प्रारंभ किये जाने हेतु धनराशि का आहरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित आहरण वितरण अधिकारी को किया जायेगा। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि आवश्यकतानुसार तत्काल आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। प्रश्नगत कार्य हेतु जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर कार्यदायी संस्था होगी।

(2)-कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के उपरांत तुरंत कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। कार्य के निर्माण मे विलम्ब होने से यदि लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)-स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)-निर्माण कार्यो की प्रस्तावित लागत को यथावत मानते हुए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अतएव स्वीकृत की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(5)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(6)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग होने के उपरान्त कराये गये कार्यो का फोटोग्राफ के साथ जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तदोपरान्त अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने पर यथासमय विचार किया जायेगा।

(7)-उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

(8)-उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य" के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0-एम0-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-228/2016/आर-1271(1)/26-3-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3.कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4.वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5.अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत सिद्धार्थनगर।
6.जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
7.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
9.गार्डफाइल।

आज्ञा से,
कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या व नाम– अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2016–17

(धनराशि रूपये हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
लेखाशीर्षक–"4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाए–0105–राजीव गांधी खेल अभियान (के.50/रा.50–के+रा.)–24–वृहद निर्माण कार्य	25000	14858	14858	14858	10142
योग :	**25000**	**14858**	**14858**	**14858**	**10142**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्तविभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–10–'अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना–1003–सम्पर्क मार्ग का निर्माण–24–बृहद निर्माण कार्य	254487	269345	14858	14858	269345
योग :	**254487**	**269345**	**14858**	**14858**	**269345**

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित मदो में बचत आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हो रही है।

(2)– स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है– वास्तविक आवश्यकता के कारण

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आ0ई0–266 /दस–2016 दिनांक 20 दिसम्बर ,2016

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)

उ0प्र0, इलाहाबाद।

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव
समाज कल्याण विभाग।

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

p

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0संख्या-228/2016/आर-1271(1)/26-3-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-प्रमुख सचिव/सचिव, युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
3-महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल उ0प्र0लखनऊ।
4-निदेशक, समाज कल्याण,उ0प्र0लखनऊ।
5-जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
6-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय।
7-वित्त नियंत्रक, युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल, उ0प्र0लखनऊ।
8-वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
9-कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
10-जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर,।
11-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)
12-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
13-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

p

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।